प्रेषक

महानिरीक्षक निबन्धन

उ0प्र0,शिविर लखनऊ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या 2423-428/टी0ए0सी0-2010 दिनांक 21 मई 2010

विषय- पावर आफ अटार्नी के विलेखों के पंजीयन पर अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय

आप अवगत है कि स्टाम्प पंजीयन विभाग राज्य के राजस्व अर्जन के प्रमुख स्रोतो में से एक है तथा प्रदेश के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में इसे द्वितीय स्थान प्राप्त है।कलेक्टर के रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1890 (जैसा कि उत्तर प्रदेश में प्रभावी है) जिसे आगे स्टाम्प अधिनियम कहा जायेगा, के अन्तगत आपकी राजस्व संग्रह में प्रमुख भूमिका है। शासन द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य को उसी दशा में प्राप्त किया जा सकता है जबकि स्टाम्प शुल्क के अपवंचन पर प्रभावी नियन्त्रण किया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 13917/2009सूरज लैम्प एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 बनाम हरियाण राज्य व अन्य में यह मत व्यक्त किया गया है कि पावर आफ अटार्नी के माध्यम से स्थावर सम्पत्ति के होने वाले अन्तरणों द्वारा अवैध अंतरण बढ़ते है जिसके फलस्वरूप स्थावर सम्पत्तियों में काले धन का प्रवाह तथा अपराधीकरण जैसी समस्याये उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार के अन्तरण से जहां एक तरफ पावर आफ अटार्नी धारक को दोषपूर्ण टाइटिल प्राप्त होता हेै वही दूसरी तरफ राज्य को स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की भी क्षति होती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार से ऐसे अवैध अन्तरणों पर प्रभावी नियन्त्रण किये जाने की अपेक्षा की गई है। अब पावर आफ अटार्नी के पंजीयन कराये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत समस्त परिपत्रों को अतिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश दिये जाते है।

1. जब पावर आफ अटार्नी द्वारा उसके धारक को स्थावर सम्पत्ति के विक्रय अथवा अन्यथा अन्तरण से सम्बन्धित अधिकार दिये जाते है, उस दशा में निबन्धनकर्ता अधिकारी ऐसे पावर आफ अटार्नी का प्रस्तुतीकरण/पंजीयन उस समय तक स्वीकार नही करेगा जब तक कि पावर आफ अटार्नी के पक्षकारो द्वारा आपसे अथवा आपके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (जो प्रथम श्रेणी अधिकारी के स्तर से कम नही होगा) द्वारा उसके पंजीयन हेतु प्रदत्त अनुमति पावर आफ अटार्नी के साथ संलग्न कर निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही की जाती है।

परन्तु यह प्रतिबन्ध ऐसे पावर आफ अटार्नी के विलेखों पर लागू नही होगा जिनमें स्थावर सम्पत्ति के विक्रय अथवा अन्यथा अन्तरण का अधिकार उसके निष्पादक द्वारा अपनी तरफ से उक्त कार्य करने के लिए अपने पितामह, पिता, मातामही, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र, पुत्री, वास्तविक भाई, वास्तविक बहन को बिना प्रतिफल दिया जाये।

2. पावर आफ अटार्नी के निष्पादक द्वारा अनुमति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि वह पावर आफ अटार्नी धारक को स्थावर सम्पत्ति के विक्रय अथवा अन्यथा अन्तरण का

अधिकार क्यों देना चाहता है तथा युक्तिसंगत कारण होने पर ही पावर आफ अटार्नी के पंजीयन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

3. स्टाम्प अधिनियम के प्राविधान से यह स्पष्ट है कि किसी भी विलेख का वर्गीकरण (यथा अखण्डनीय पावर आफ अटार्नी या खण्डनीय पावर आफ अटार्नी) उसमें दिये गये तथ्यों के आधार परकिया जाता है न कि विलेख को पक्षकारों द्वारा दिये नामकरण पर एवं तदनुसार ही रूटाम्प शुल्क प्रभार्य होता है।

अतः उप निबन्धकों को निर्देश दिये जाते है कि वह पक्षकारा के खण्डनीय/अखण्डनीय नामकरण के आधार पर पावर आफ अटार्नी पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की देयता सुनिश्चित नही करेगें, अपितु पावर आफ अटार्नी में दिये गये तथ्यों के आधार पर यह सुनिश्चित करेगें के प्रश्नगत पावर आफ अटार्नी खण्डनीय है या अखण्डनीय एवं तदनुसार ही स्टाम्प शुल्क की देयता सुनिश्चित करेगें।

4. उप निबन्धको को यह भी निर्देश दिये जाते है कि जिलाधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमति इस तथ्य का साक्ष्य नही है कि ऐसे पावर आफ अटार्नी जिनमें अनुमति प्रदान की गयी है, पूर्णतया मुद्रांकेत है।

5. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

ह0/-

(हिमांशु कुमार)

महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ

संख्या एवं दिनांकः तदैव । 2423-428/21.05.2010

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)/पदेन जिला निबन्धक उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइलों पर चस्पा करने हेतु।

(हिमांशु कुमार)

महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ